रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 563] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 1990/पौष 8, 1912
No. 563] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 1990/PAUSA 8, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1990

सा का.नि. 1004(अ) :—केन्द्रीय सरकार सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 94 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1—प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम, 1990 है ।

(2) ये अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से नियम 5 के अधीन नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से नियम 3 के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ङ) "सदस्यता" से नियम 3 के अधीन स्थापित प्राधिकरण की सदस्यता अभिप्रेत है ;

(च) "गैर सरकारी सदस्य" से नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन नियुक्त किया गया कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(छ) "सरकारी सदस्य" से नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(ज) "सचिव" से नियम 13 के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है ;

(झ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2—केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण

3. प्राधिकरण का गठन : प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(1) सरकारी सदस्य :

(क) सचिव अथवा अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ।

(ख) मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्य को देखने वाला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का संयुक्त सचिव ।

(ग) मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्य को देखने वाला स्वास्थ्य सेवा अपर महानिदेशक ।

(घ) निदेशक, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची ।

(ङ) निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिक विज्ञान संस्थान बैंगलूर ।

(च) चिकित्सा अधीक्षक, मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली ।

(2) गैर-सरकारी सदस्य : एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक नैदानिक मनोविज्ञानी और एक चिकित्सा मनश्चिकित्सक सहित तीन सदस्य जिन्हें केन्द्रीय सरकार की राय में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशिष्ट रुचि हो ।

4. निरर्हता :

(क) जो व्यक्ति ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है; जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है; अथवा

(ख) अन्-मोचित दिवालिया है; अथवा

(ग) विकृत-चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; अथवा

(घ) सरकार अथवा सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्राधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटा दिया गया है अथवा पदच्युत कर दिया गया है, वह सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा या केन्द्रीय सरकार द्वारा सदस्यता से हटा दिया जाएगा ।

5. अध्यक्ष :

(1) केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसी सरकारी सदस्य का नामनिर्देशन कर सकेगी ।

(2) प्राधिकरण में सदस्यता समाप्त होने पर अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेगा ।

6. सदस्यों का कार्यकाल :

(1) प्रत्येक सरकारी सदस्य तब तक ऐसा सदस्य बना रहेगा जब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर उसे नियुक्त किया गया था ।

(2) प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा और उसकी पुन-नियुक्ति भी हो सकेगी ।

(3) कोई भी गैर-सरकारी सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को भेजकर प्राधिकरण की सदस्यता से किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है और ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को उसे स्वीकार किया जाता है ।

(4) जहां किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा उप नियम (3) के अधीन त्यागपत्र दिए जाने से अथवा किसी अन्य कारण से कोई पद खाली हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार उस रिक्ति को नियम 3 के उपनियम (2) में उल्लिखित कोटि के व्यक्तियों में से नियुक्ति द्वारा भरेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति उस सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पदस्थ रहेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया था ।

(5) जहां किसी गैर-सरकारी सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से पहले तीन मास के भीतर किसी भी समय एक उत्तराधिकारी को नियुक्त कर सकेगी लेकिन वह उत्तराधिकारी तब तक अपना पद ग्रहण नहीं करेगा तब तक कि सदस्य का कार्यकाल समाप्त न हो गया हो ।

अध्याय 3 : प्राधिकरण की कार्यवाहियां

7. प्राधिकरण की बैठकें :

(1) प्राधिकरण की बैठक सामान्यत: ऐसे समय और स्थान पर जो अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जाएगा, प्रत्येक 6 महीने में एक बार होगी :

परन्तु, अध्यक्ष

(i) प्राधिकरण द्वारा ध्यान दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी तत्काल महत्व के मामले को निपटाने के लिए विशेष बैठक किसी भी समय बुला सकेगा ;

(ii) यदि उनके पास कम से कम चार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में मांग आती है जिसमें उस प्रयोजन का भी उल्लेख किया गया हो जिसके लिए वे ऐसी बैठक बुलाना चाहते हैं, एक विशेष बैठक बुलाएगा ।

(2) किसी कैलेंडर वर्ष में आयोजित की जाने वाली प्राधिकरण की पहली बैठक उस वर्ष की वार्षिक बैठक होगी ।

8. विशेष बैठक के लिए विषय : जहां नियम 7 के उप-नियम (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट बैठक बुलाई गई हो तो उस बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर विचार किया जाएगा जिनके लिए वह बैठक बुलाई गयी थी ।

9. वार्षिक बैठक के लिए विषय : प्राधिकरण की वार्षिक बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जाएगा और उन्हें निपटाया जाएगा, अर्थात् :—

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा ;

(ख) कार्यसूची में दिए गए अन्य विषय; और

(ग) अध्यक्ष की स्वीकृति से अथवा जहां वह अनुपस्थित हो, वहां बैठकों की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी की स्वीकृति से प्रस्तुत किए गए अन्य विषय ।

10. बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया :

(1) प्राधिकरण की बैठक बुलाने के लिए दिए गए प्रत्येक नोटिस—

(क) में बैठक का स्थान, तारीख और समय का उल्लेख किया जाएगा ;

(ख) की बैठक के लिए नियुक्त किए गए दिन से वार्षिक बैठक के मामले में कम से कम इक्कीस दिन पूर्ण तथा अन्य बैठकों के मामले में पन्द्रह दिन पूर्ण पूर्व प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को तामील की जाएगी ।

(2) सचिव, ऐसी बैठक के लिए एक कार्यसूची तैयार करेगा और बैठक के नोटिस के साथ सदस्यों को परिचालित करेगा जिसमें विचारणीय कामकाज दर्शाए गए होंगे ।

(3) यदि कोई सदस्य कार्यसूची में शामिल किसी मामले पर कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहता है तो वह सचिव को उसकी सूचना बैठक के लिए निश्चित की गई तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व देगा

(4) यदि कोई सदस्य कार्यसूची में शामिल न किए गए किसी प्रस्ताव को लाना चाहता है तो वह सचिव को इसकी सूचना बैठक के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम 14 दिन पहले देगा ।

11. प्राधिकरण की कार्यवाही :

(1) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सदस्य प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) प्राधिकरण की बैठक में गणपूर्ति के लिए 4 सदस्य अपेक्षित हैं ।

(3) यदि प्राधिकरण की बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के अन्दर गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्थगित कर दी जाएगी और इस बैठक की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उपस्थित सदस्यों को सूचित करेगा और अन्य सदस्यों को इसकी सूचना भेजेगा ।

(4) यदि स्थगित की गई बैठक में भी बैठक करने के लिए निर्धारित किए गए समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो उपस्थित सदस्यों को गणपूर्ति मान लिया जाएगा।

(5) स्थगित की गई बैठक में यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है और किसी भी सदस्य को ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है तो उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक सदस्य को चुनेंगे ।

(6) अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष अथवा ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले किसी सदस्य को इसके अतिरिक्त एक और निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा ।

(7) प्राधिकरण की बैठक के सभी निर्णय उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे ।

12. परिचालन द्वारा अनुमोदन :

वार्षिक बैठक के समक्ष रखे जाने वाले किसी भी को छोड़कर किसी भी विषय की जिस पर प्राधिकरण के लिए विचार-विमर्श करना आवश्यक हो, सदस्यों के बीच परिचालित करके उठाया जा सकता है और इस प्रकार परिचालित तथा सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा अनुमोदित कोई भी संकल्प इस प्रकार वैध और बाध्यकारी होगा मानो ऐसा संकल्प प्राधिकरण की बैठक में पारित किया गया हो ।

13. प्राधिकरण का सचिव :

(1) अध्यक्ष मनश्चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री वाले और मनश्चिकित्सा के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से प्राधिकरण का सचिव नियुक्त कराएगा ।

(2) सचिव प्राधिकरण का एक पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक कर्मचारी होगा और प्राधिकरण के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।

(3) सचिव कार्यालय के लेखों और पत्राचार के नियंत्रण और प्रबन्ध के लिए जिम्मेदार होगा ।

(4) सचिव प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेगा और उसकी कार्यवाही के टिप्पण लिखेगा।

(5) सचिव सचिवीय और अननुसचिवीय स्टाफ के ऐसे सदस्यों की नियुक्ति कराएगा जो प्राधिकरण के दक्षतापूर्वक कार्यसंचालन के लिए आवश्यक हैं ।

(6) सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और वह ऐसे अन्य कार्य करेगा जिनके लिए उसे अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के दक्षतापूर्वक कार्य-संचालन हेतु लिखित रूप में प्राधिकृत किया जाएगा ।

14. प्राधिकरण की कार्यवाही की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजना

सचिव समय-समय पर प्राधिकरण की कार्यवाही की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

[सं. एच. 11018/4/87-मो. (एन.)एस.]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1990

G.S.R. 1004(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 94 of the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987) read with section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Mental Health Authority Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of commencement of the Act.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987) ;

(b) "Authority" means the Central Mental Health Authority established under section 3 of the Act ;

(c) "Chairman" means the Chairman nominated under rule 5 ;

(d) "member" means member of the Authority appointed under rule 3 ;

(e) "membership" means the membership of the Authority established under rule 3 ;

(f) "non-Official Member" means a member appointed under sub-rule (2) of rule 3 ;

(g) "Official Member" means a member appointed under sub-rule (1) of rule 3 ;

(h) "Secretary" means the Secretary to the Authority appointed under rule 13 ;

(i) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall respectively have the meaning assigned to them in the Act.

CHAPTER II -Central Mental Health Authority

3. Constitution of the Authority.—The Authority shall consist of the following members, namely :—

1. Official Members :

(a) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.

(b) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare dealing with Mental Health.

(c) Additional Director General of Health Services dealing with Mental Health.

(d) Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi.

(e) Director, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Bangalore.

(f) Medical Superintendent, Hospital for Mental Diseases, Shahdara, Delhi.

2. Non-Official Members.—Three members including one Social Worker, one Clinical Psychologist and one Medical Psychiatrist who, in the opinion of the Central Government, have special interest in the field of Mental Health.

4. Disqualification.—A person shall be disqualified for being appointed as a member or shall be removed from membership by the Central Government if he,—

(a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Central Government involves moral turpitude ; or

(b) is an undischarged insolvent ; or

(c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court ; or

(d) has been removed or dismissed from the service of Government or a body corporate owned or controlled by the Government.

5. Chairman :

(1) The Central Government may nominate any official member to act as the Chairman of the Authority.

(2) The Chairman shall cease to hold office when he ceases to be a member of the Authority.

6. Term of office of members :

(1) Every official member shall hold office as such member so long as he holds the office by virtue of which he was so appointed.

(2) Every non-official member shall hold office for a period of three years from the date of his appointment and shall be eligible for re-appointment.

(3) A non-official member may at any time resign from membership of the Authority by forwarding his letter of resignation to the Chairman and such resignation shall take effect only from the date on which it is accepted.

(4) Where a vacancy occurs by resignation of a non-official member under sub-rule (3) or otherwise, the Central Government shall fill the vacancy by appointing from amongst category of persons referred to in sub-clause (2) of rule 3 and the person so appointed, shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he was so appointed.

(5) Where the term of office of any non-official member is about to expire, the Central Government may appoint a successor at any time within three months before the expiry of the term of such member but the successor shall not assume office until the term of the member expires.

CHAPTER III—Proceedings of the Authority

7. Meetings of the Authority :

(1) The Authority shall ordinarily meet once in every six months at such time and place as may be fixed by he Chairman :

Provided that the Chairman,—

(i) may call a special meeting at any time to deal with any urgent matter requiring the attention of the Authority;

(ii) shall call a special meeting if he receives a requisition in writing signed by not less than four members and stating the purpose for which they desire the meeting to be called.

(2) The first meeting of the Authority to be held in any calendar year shall be the annual meeting for that year.

8. Subjects for Special Meeting.—Where a meeting referred to in the proviso to sub-rule (1) of rule 7 has been convened, only the subjects for the consideration of which the meeting was convened, shall be discussed.

9. Subjects for the Annual meeting.—At the Annual Meeting of the Authority, the following subjects shall be considered and disposed of, namely :—

(a) review of the progress of implementation of the various provisions of Mental Health Act during the preceding one year ;

(b) other business on the agenda ; and

(c) any other business brought forward with the consent of the Chairman or where he is absent, with the consent of officer presiding at the meeting.

10. Procedure or holding meetings :

(1) Every notice calling for a meeting of the Authority shall,—

(a) specify the place, date and hour of the meeting ;

(b) be served upon every member of the Authority not less than twenty-one clear days in the case of annual meeting and fifteen clear days in the case of other meetings before the day appointed for the meeting.

(2) The Secretary shall prepare and circulate to the members alongwith the notice of the meeting, an agenda for such meeting showing the business to be transacted.

(3) A member who wishes to move a resolution on any matter included in the agenda shall give notice thereof to the Secretary not less than seven days before the date fixed for the meeting.

(4) A member who wishes to move any motion not included in the agenda shall give notice thereof to the Secretary not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

11. Proceedings of the Authority :

(1) The Chairman or in his absence any member authorised by him shall preside at the meetings of the Authority.

(2) The quorum for the meeting of the Authority shall be four members.

(3) If within half an hour from time appointed for holding a meeting of the Authority quorum is not present, the meeting shall be adjourned to the same day in the following week at the same time and place and the presiding officer of such meeting shall inform the members present and send notice to other members.

(4) If at the adjourned meeting also, quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the members present shall constitute the quorum.

(5) In the adjourned meeting if the Chairman is not present and no member has been authorised to preside at such meeting, the members present shall elect a member to preside at the meeting.

(6) Each member including the Chairman shall have one vote. In the case of an equality of votes, the Chairman or any member presiding over such meeting shall in addition, have encasting vote.

(7) All decisions of the meeting of the Authority shall be taken by a majority of the members present and voting.

12. Approval by circulation :

Any business which may be necessary for the Authority to transact except such as may be placed before the annual meeting, may be carried out by circulation among all members and any resolution so circulated and approved by a majority of members, shall be valid and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Authority.

13. Secretary to the Authority :

(1) The Chairman shall cause to be appointed a Secretary to the Authority from amongst persons possessing post graduate degree in psychiatry and having three years' experience in the field of psychiatry.

(2) The Secretary shall be a full-time or part-time servant of the Authority and shall function as the Administrative Officer of the Authority.

(3) The Secretary shall be responsible for the control and management of office accounts and correspondence.

(4) The Secretary shall attend and take notes of the proceedings of the meetings of the Authority.

(5) The Secretary shall cause to be appointed such members of the ministerial and non-ministerial staff which are essential for the efficient functioning of the Authority.

(6) The Secretary shall exercise such other powers and discharge such other functions as may be authorised in writing by the Chairman for the efficient functioning of the Authority.

14. Forwarding of copies of the proceedings of the Authority to the Central Government.

The Secretary shall forward copies of the proceedings of the Authority to the Central Government periodically.

[No. H. 11018/4/87/(A)/PMS]

सा.का.नि. 1005 (अ) : —केन्द्रीय सरकार सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 94 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

अध्याय 1—प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : —(1) इन नियमों संक्षिप्त नाम राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम, 1990 है।

(2) ये किसी राज्य में उस राज्य में अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : —इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) अभिप्रेत है,

(ख) "आवेदक" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकरण को आवेदन करता है ।

(ग) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से नियम 5 के अधीन नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "फार्म" से इन नियमों के साथ उपाबद्ध फार्म अभिप्रेत है;

(च) "अनुज्ञप्ति" से अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत दी गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(छ) "सदस्य" से नियम 3 के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है;

(ज) "सदस्यता" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित प्राधिकरण की सदस्यता अभिप्रेत है;

(झ) "गैर सरकारी सदस्य" से नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन नियुक्त किया गया कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ञ) "सरकारी सदस्य" से नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ट) "सचिव" से नियम 13 के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है;

(ठ) "उन शब्दों या पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है लेकिन अधिनियम में परिभाषित है", वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2—राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण

3. प्राधिकरण का गठन :—प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :—

(1) सरकारी सदस्य :

(क) सचिव, स्वास्थ्य विभाग,

(ख) मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्य को देखने वाले स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव;

(ग) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा;

(घ) चिकित्सा अधीक्षक, सरकारी मानसिक रोग अस्पताल अथवा विभागाध्यक्ष मनःचिकित्सा, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल ;

(2) गैर सरकारी सदस्य :—एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक मैदानिक मनोविज्ञानी और एक चिकित्सा मनश्चिकित्सक सहित तीन सदस्य जिन्हें राज्य सरकार की राय में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशिष्ट रुचि हो ।

4. निरर्हता : जो व्यक्ति—

(क) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है; अथवा

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है, अथवा

(ग) विकृत-चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, अथवा

(घ) वह सरकार अथवा सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी नियमित निकाय की सेवा से हटा दिया गया है अथवा पदच्युत कर दिया गया है, वह सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा या केन्द्रीय सरकार द्वारा सदस्यता से हटा दिया जाएगा ।

5. अध्यक्ष : —

(1) राज्य सरकार प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसी सरकारी सदस्य को नाम निर्देशन कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण से सदस्यता समाप्त होने पर अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेगा ।

6. सदस्यों का कार्यकाल : —

(1) प्रत्येक सरकारी सदस्य तब तक ऐसा सदस्य बना रहेगा जब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर उसे नियुक्त किया गया था ।

(2) प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा और उसकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकेगी ।

(3) कोई भी गैर सरकारी सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को भेजकर प्राधिकरण की सदस्यता से किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है और ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को उसे स्वीकार किया जाता है ।

(4) जहां किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा उपनियम 3 के अधीन त्यागपत्र दिए जाने से अथवा किसी अन्य कारण से कोई पद खाली हो जाता है तो राज्य सरकार उस रिक्ति को नियम 3 के उपनियम (2) में उल्लिखित कोटि के व्यक्तियों में से नियुक्ति द्वारा भरेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति उस सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पदस्थ रहेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया था ।

(5) जहां किसी गैर सरकारी सदस्य की कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से पहले तीन मास के भीतर किसी भी समय तक एक उत्तराधिकारी को नियुक्त कर सकेगी लेकिन वह उत्तराधिकारी तब तक अपना पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि सदस्य का कार्यकाल समाप्त न हो गया हो ।

अध्याय 3—प्राधिकरण की कार्यवाहियां

7. प्राधिकरण की बैठकें :—

(1) प्राधिकरण की बैठक साधारणतः ऐसे समय और स्थान पर जो अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जाएगा, प्रत्येक 6 महीनों में एक बार होगी :

परन्तु अध्यक्ष

(1) प्राधिकरण द्वारा ध्यान दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी तत्काल महत्व के मामले को निपटाने के लिए विशेष बैठक किसी भी समय बुला सकेगा—

(2) यदि उसके पास कम से कम चार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप से मांग आती है जिसमें उस प्रयोजन का भी उल्लेख किया गया हो जिसके लिए वे ऐसी बैठक बुलाना चाहते हैं, एक विशेष बैठक बुलाएगा ।

(2) किसी कैलेण्डर वर्ष में आयोजित की जाने वाली प्राधिकरण की पहली बैठक उस वर्ष की वार्षिक बैठक होगी ।

विशेष बैठक के लिये विषय—जहां नियम 7 के उपनियम (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट बैठक बुलाई गई हो तो उस बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर विचार किया जाएगा जिनके लिए वह बैठक बुलाई गई थी ।

9. वार्षिक बैठक के लिए विषय—प्राधिकरण की वार्षिक बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जाएगा और उन्हें निपटाया जाएगा अर्थात्—

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा—

(ङ) कार्यसूची में दिए गए अन्य विषय; और

(ग) अध्यक्ष की स्वीकृति से अथवा जहां वह अनुपस्थिति हो, वहां बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी की स्वीकृति से प्रस्तुत किए गए अन्य विषय।

10. बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया :—

(1) प्राधिकरण की बैठक बुलाने के लिए दिए गए प्रत्येक नोटिस

(क) में बैठक का स्थान, तारीख और समय का उल्लेख किया जाएगा;

(ख) की बैठक के लिए नियत किए गए दिन से वार्षिक बैठक के मामले में कम-से-कम इक्कीस पूर्ण दिन तथा अन्य बैठकों के मामले में पन्द्रह पूर्ण दिन पूर्व प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को तामील की जाएगी।

(2) सचिव, ऐसी बैठक के लिए एक कार्यसूची तैयार करेगा और बैठक के नोटिस के साथ सदस्यों को परिचालित करेगा जिसमें विचारणीय कामकाज वर्णित किए गए होंगे।

(3) यदि कोई सदस्य कार्यसूची में शामिल मामले पर कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहता है तो वह सचिव को उसकी सूचना बैठक के लिए निश्चित की गई तारीख से कम-से-कम सात दिन पूर्व देगा।

(4) यदि कोई सदस्य कार्यसूची में शामिल न किए गए किसी प्रस्ताव को लाना चाहता है तो वह सचिव को इसकी सूचना बैठक के लिए नियत की गई तारीख से कम-से-कम 14 दिन पहले देगा।

14. प्राधिकरण की कार्यवाही :

(1) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सदस्य प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) प्राधिकरण की बैठक में गणपूर्ति के लिए 4 सदस्य अपेक्षित हैं।

(3) यदि प्राधिकरण की बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के अन्दर गणपूर्ति नहीं होती है, तो बैठक अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्थगित कर दी जाएगी और इस बैठक की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उपस्थित सदस्यों को सूचित करेगा और अन्य सदस्यों को इसकी सूचना भेजेगा।

(4) यदि स्थगित की गई बैठक में भी बैठक करने के लिए निर्धारित किए गए समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो उपस्थित सदस्यों को गणपूर्ति मान लिया जाएगा

(5) स्थगित की गई बैठक में यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है और किसी भी सदस्य को ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है तो उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक सदस्य को चुनेंगे।

(6) अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष अथवा ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले किसी सदस्य को इसके अतिरिक्त एक और निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा।

(7) प्राधिकरण की बैठक के सभी निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे।

12. परिचालन द्वारा अनुमोदन :—

वार्षिक बैठक के समक्ष रखे जाने वाले किसी विषय को छोड़ कर किसी भी विषय को जिस पर प्राधिकरण के लिए विचार-विमर्श करना आवश्यक हो, सदस्यों के बीच परिचालित करके जुटाया जा सकता है और इस प्रकार परिचालित तथा सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा अनुमोदित कोई भी संकल्प इस प्रकार विधिमान्य और बाध्यकारी होगा मानो ऐसा संकल्प प्राधिकरण की बैठक में पारित किया गया हो।

13. प्राधिकरण का सचिव

(1) अध्यक्ष मनश्चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री वाले और मनश्चिकित्सा के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से प्राधिकरण का सचिव नियुक्त कराएगा।

(2) सचिव प्राधिकरण का एक पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक कर्मचारी होगा और प्राधिकरण के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(3) सचिव कार्यालय के लेखों और पत्राचार के नियंत्रण और प्रबंध के लिए जिम्मेदार होगा।

(4) सचिव प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेगा और उसकी कार्यवाही के टिप्पण लिखेगा।

(5) सचिव, अधिवीय और अनुसचिवीय स्टाफ के ऐसे सदस्यों को नियुक्त कराएगा जो प्राधिकरण के दक्षतापूर्वक कार्यसंचालन के लिए आवश्यक है।

(6) सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और वह ऐसे अन्य कार्य करेगा जिसके लिए उसे अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के दक्षतापूर्वक कार्यसंचालन हेतु लिखित रूप में प्राधिकृत किया जाएगा।

14. प्राधिकरण की कार्यवाही की प्रतियां राज्य सरकार को भेजना :

सचिव समय-समय पर प्राधिकरण की कार्यवाही की प्रतियां राज्य सरकार को भेजेगा।

अध्याय 5 अनुज्ञप्ति

15. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन :

(1) अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन।

(क) प्ररूप-I अथवा प्ररूप-II में, जैसी भी स्थिति हो, अनुज्ञापन प्राधिकरण को दिया जाएगा।

(ख) अनुज्ञापन प्राधिकरण के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में 300 रुपये के शुल्क के साथ दिया जाएगा।

16. अनुज्ञप्ति की मंजूरी :—यदि अनुज्ञापन प्राधिकरण का इस बात से समाधान हो जाता है कि अधिनियम की धारा 8 के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में अधिकथित शर्तों को आवेदक पूरा करता है तो वह प्ररूप-III में अनुज्ञप्ति की मंजूरी देगा।

17. अनुज्ञप्ति देने से इनकार करना और आवेदक को सूचित करने की रीति

(1) यदि अनुज्ञापन प्राधिकरण का इस बात से समाधान हो जाता है कि आवेदक अधिनियम की धारा-8 में विहित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो वह आवेदक को अनुज्ञप्ति देने से इनकार करने के प्रस्ताव के विरुद्ध सुनवाई करने का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा जिसमें कारण उल्लिखित किए गए हों, अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर सकेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा आदेश, जिसमें धारा-8 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति देने से इंकार किया गया हो, आवेदक को आवेदन पत्र में दिए गए पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आदेश की एक प्रति भेजकर सूचित किया जाएगा।

(3) आदेश की एक प्रति अनुज्ञापन प्राधिकरण के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी सहज दृश्य तरीके से लगाई जायेगी।

18. नवीकरण के लिए आवेदन :—अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन :—

(क) प्ररूप-4 में अनुज्ञापन प्राधिकरण को किया जाएगा,

(ख) इसके साथ अनुज्ञापन प्राधिकरण के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में 100 रुपये का शुल्क होगा।

19. अनुज्ञप्ति देने से इनकार करना :—

1. यदि अनुज्ञापन प्राधिकरण का इस बात से समाधान हो जाता है कि अधिनियम की धारा-9 की उपधारा (5) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट शर्तें लागू नहीं होती हैं तो वह अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर देगा।

(2) यदि अनुज्ञापन प्राधिकरण की यह राय है कि अनुज्ञप्ति का नवीकरण इस तथ्य को देखते हुए नहीं किया जाना चाहिए कि धारा 9 की उपधारा (5) के परन्तुक में उल्लिखित शर्तें इस बारे में लागू होती हैं तो वह आवेदक को अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु प्रस्तावित इंकार करने के विरुद्ध सुनवाई करने का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद आदेश द्वारा जिसमें कारण उल्लिखित किए गए हों, अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने से इन्कार कर सकेगा।

(3) प्रत्येक आदेश, जिसमें धारा-9 की उपधारा (5) के आवेदक के अंतर्गत अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने से इनकार किया गया हो आवेदक को नवीकरण के लिए आवेदन पत्र में दिए गए पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आदेश की एक प्रति भेज कर सूचित किया जाएगा।

20. मनश्चिकित्सीय अस्पतालों या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह के अनुरक्षण का तरीका और शर्तें :

प्रत्येक मनश्चिकित्सीय अस्पताल या परिचर्या गृह का अनुरक्षण इन शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि,—

(क) ऐसा अस्पताल अथवा परिचर्यागृह केवल स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित क्षेत्र में स्थित है,

(ख) ऐसा अस्पताल अथवा परिचर्यागृह स्थानीय प्राधिकरण के अनुमोदन से निर्मित किसी भवन में स्थित है,

(ग) भवन, जहां ऐसा अस्पताल अथवा परिचर्यागृह स्थित है, पर्याप्त रूप से हवादार है और किसी भी प्रकार के प्रदूषण से जो ऐसे अस्पताल अथवा परिचर्यागृह में दाखिल रोगियों के लिए हानिकारक हो सकता है मुक्त है,

(घ) ऐसे अस्पताल अथवा परिचर्यागृह में रोगियों के लिए पर्याप्त पलंग हैं,

(ङ) ऐसे अस्पताल अथवा परिचर्यागृह में नियोजित नर्सिंग अथवा अन्य स्टाफ सम्यक रूप से अर्हित है और उन्हें सौंपे गए कार्य को निपटाने के लिए सक्षम है।

(च) ऐसे अस्पताल अथवा परिचर्यागृह का पर्यवेक्षी प्रभारी/अधिकारी ऐसा व्यक्ति है जो सम्यक रूप से अर्हित है और उसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त मनश्चिकित्सा में स्नातकोत्तर अर्हता है।

21. अपील के लिए समय :

(1) अनुज्ञापन अधिकारी के ऐसे आदेश से, जिससे अनुज्ञप्ति देने या अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने से इंकार किया गया है या अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत किया गया है, व्यथित कोई व्यक्ति, राज्य सरकार को उक्त आदेश के संसूचित किए जाने के साठ दिन के भीतर, अपील कर सकेगा :

परन्तु राज्य सरकार उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् की गई अपील को भी ग्रहण कर सकेगी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक समय पर अपील करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था।

(2) अपील प्ररूप 5 में होगी और राज्य सरकार को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज कर या राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव या इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर और उसे परिदत्त कर दी जाएगी।

(3) प्रत्येक अपील के साथ पांच सौ रुपया की फीस होगी।

22. बाह्य रोगियों के उपचार के लिए न्यूनतम सुविधाएं :

प्रत्येक मनश्चिकित्सीय अस्पताल अथवा मनश्चिकित्सीय परिचर्यागृहों में रोगियों के उपचार के लिए अधिनियम की धारा 14 में जिन न्यूनतम अपेक्षित सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, वे इस प्रकार हैं —

1. 10 पलंगों वाले अस्पताल अथवा परिचर्यागृह के लिए कर्मचारी-वृन्द :

(क) एक पूर्णकालिक अर्हताप्राप्त मनश्चिकित्सक।

(ख) एक मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिका सहायक (नैदानिक) मनोविज्ञानी अथवा मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता।

(ग) स्टाफ नर्स नर्स-रोगी अनुपात 1 : 3

(घ) परिचर, परिचर-रोगी अनुपात 1 : 5

2. भौतिक पहलू : पलंगों की संख्या के आधार पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

3. सहयोगी सुविधाएं : न्यूनतम सहयोगी सुविधाएं निम्नलिखित प्रकार से होंगी :—

(क) बाह्य रोगियों के लिए आपातकालीन देखभाल एवं बाह्य और अन्तरंग रोगियों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था,

(ख) एक सुसज्जित विद्युत-आघेपी चिकित्सा सुविधा,

(ग) मनोवैदानिक सुविधाएं,

(घ) आमोद-प्रमोद की सुविधा/पुनर्वासीय गतिविधियों की व्यवस्था, और

(ङ) नियमित बाह्य रोगियों की देख-भाल के लिए सुविधाएं।

23. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण :

(1) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल अथवा परिचर्यागृह की अनुज्ञप्ति को अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अथवा खंड (ख) के अनुसरण में प्रतिसंहृत करना अपेक्षित है तो वह प्रस्तावित प्रतिसंहरण के विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद आदेश द्वारा जिसमें के आधार उल्लिखित किए जाएंगे, अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण संबंधी प्रत्येक आदेश की सूचना अनुज्ञप्तिधारी को रजिस्ट्रीकृत डाक से उस आदेश की एक प्रति आवेदन पत्र में दिए गये पते पर भेज दी जाएगी।

(3) आदेश की एक प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय, मनश्चिकित्सीय अस्पताल अथवा परिचर्यागृह के सूचना पटलों पर भी सहजदृश्य रूप से लगाई जाएगी।

24. रिकार्ड का रखरखाव :—प्रत्येक मनश्चिकित्सीय अस्पताल अथवा मनश्चिकित्सीय परिचर्यागृह रोगियों के उपचार के रिकार्ड प्ररूप-6 में रखेगा।

अध्याय 6 विविध :

25. मनश्चिकित्सीय अस्पताल अथवा मनश्चिकित्सीय परिचर्यागृह में भर्ती और निरोध :

(1) भारसाधक चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवेदन —

(क) ग्रहण आदेश के लिए आवेदन किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल अथवा मनश्चिकित्सीय परिचर्यागृह के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्ररूप-7 में किया जाएगा, अथवा

(ख) मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के पति, पत्नी अथवा किसी अन्य नातेदार द्वारा प्ररूप 8 में किया जाएगा।

(2) पति अथवा पत्नी से आवेदन

(क) अभिकथित मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के पति या पत्नी संबंधी अथवा मित्र द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक आवेदन के साथ आवश्यक चिकित्सा प्रमाणपत्र होंगे;

(ख) ऐसे आवेदन पर, यथास्थिति, पति अथवा पत्नी अथवा किसी नातेदार या किसी मित्र द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(ग) ऐसे आवेदन पत्र में सभी आवेदकों तथा सत्यापित करने वाले साक्षियों के नाम, पते, व्यवसाय तथा अन्य ब्यौरे साफ-साफ लिखे जाएंगे।

26. परिदर्शकों की अर्हताएं और कृत्य

(1) अधिनियम की धारा 37 के अधीन परिदर्शकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की निम्नलिखित अर्हताएं होंगी :—

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त भारत में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई मनश्चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ आयुर्विज्ञान में डिग्री और कम से कम व्यवसाय में दस वर्ष का अनुभव, और जो मनश्चिकित्सीय अस्पताल या किसी अस्पताल के मनश्चिकित्सा स्कंध में चिकित्सा अधीक्षक/आचार्य का पद धारण किया है किए हुए हैं, या

(ख) किसी मानसिक अस्पताल से संबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता नैदानिक मनोविज्ञानी/मनश्चिकित्सा नर्स के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।

(2) अधिनियम की धारा 37 के अधीन नियुक्त किए गए परिदर्शकों की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी :—

(क) रोगियों की भर्ती तथा उपचार के बाद उन्मोचन की समीक्षा करना :

(ख) वार्डों, बाह्य रोगी विभाग और रसोई का निरीक्षण करना;

(ग) उपलब्ध की जाने वाली सुविधाएं;

(घ) सुधार के लिए सुझाव, और

(ङ) सरकार और अस्पताल के बीच में संपर्क अधिकारी के रूप में काम करना।

27. अनुपस्थिति की इजाजत —रोगी की ओर से अधिनियम की धारा 45 के अधीन किसी नातेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुपस्थिति की इजाजत के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र प्ररूप 9 में दिया जाएगा।

28. मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को संबोधित पत्रों और अन्य संसूचनाएं का अन्तर्रोधन।

(1) मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए संबोधित कोई पत्र या अन्य संसूचना जो डाक विभाग के माध्यम या अन्यथा वितरण के लिए आशयित हो, निम्नलिखित परिस्थितियों के अन्तर्गत के सिवाए अन्तर्रुद्ध, प्रतिधृत या नष्ट नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कोई भी पत्र या अन्य संसूचना जो किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को वितरण करने के लिए आशयित हो तभी खोला जाएगा यदि अस्पताल या परिचर्यागृह पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की यह राय है कि उक्त पत्र या संसूचना में कोई ऐसी सूचना या सामग्री है जिसे यदि ऐसे रोगी को दे दिया जाएगा तो वह उसके स्वास्थ्य के लिए अहितकर होगी, अथवा

(ii) मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को दिए जाने के लिए आशयित किसी पत्र या संसूचना को अन्तर्रुद्ध, प्रतिधृत या नष्ट करना जनहित या राज्य के हित में आवश्यक है।

[सं. एच. 11018/4/87-(पी.)पी.एम.एस.]

के. वासुदेवन संयुक्त सचिव

प्रारूप-1*

(नियम-15 देखें)

मनश्चिकित्सीय अस्पताल/परिचर्यागृह के अनुरक्षण के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

.....अधिकारी,
.....सरकार
.....

महोदय/महोदया,

मैं/हम एक मनश्चिकित्सीय अस्पताल/मनश्चिकित्सीय परिचर्यागृह की स्थापना/अनुरक्षण करना चाहता हूं/चाहते हैं। ऐसे अस्पताल/परिचर्यागृह की स्थापना/अनुरक्षण करने के लिए मैं/हम विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारक हूं/हैं ।

अस्पताल/परिचर्यागृह के ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1. आवेदक का नाम :

2. अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी के नाम के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञप्ति का ब्यौरा और तारीख :

3. आयु :

4. मनश्चिकित्सा में वृत्तिक अनुभव :

5. आवेदक का स्थायी पता :

6. प्रस्तावित अस्पताल/परिचर्यागृह का स्थान :

7. प्रस्तावित अस्पताल/परिचर्यागृह का पता :

8. प्रस्तावित वास सुविधा :

(क) कमरों की संख्या :
(ख) पलंगों की संख्या :

प्रदान की गई सुविधाएं :

(क) बाह्य रोगी :
(ख) आपात सेवाएं :
(ग) अंतरंग रोगी सुविधाएं :
(घ) वृत्तिक और आमोद-प्रमोद की सुविधाएं
(ङ) ई.सी.टी. सुविधाएं :
(च) एक्स-रे सुविधाएं :
(छ) मनोवैज्ञानिक परीक्षण सुविधाएं :
(ज) अन्वेषण और प्रयोगशाला सुविधाएं :
(झ) उपचार सुविधाएं

स्टाफ पैटर्न :

(क) डाक्टरों की संख्या :
(ख) नर्सों की संख्या :
(ग) परिचारकों की संख्या :
(घ) अन्य :

मैं इसके साथ अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप .....में के नाम .....रुपये का बैंक ड्राफ्ट भेज रहा हूं ।

मैं मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का पालन करने का वचन देता हूं ।

अनुरोध है कि आप मेरे आवेदन पत्र पर विचार करें और मनश्चिकित्सीय अस्पताल/परिचर्या की स्थापना/अनुरक्षण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करें ।

भवदीय,
हस्ताक्षर.....
नाम.....
तारीख.....

फार्म-2

(नियम 15 देखें)

धारा-7 की उपधारा (2) के अधीन मनश्चिकित्सीय अस्पताल/परिचर्यागृह स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

.....

.....सरकार

.....

महोदय/महोदया,

मैं/हम.....(स्थान का उल्लेख करें) में एक मनश्चिकित्सीय परिचर्यागृह/मनश्चिकित्सीय अस्पताल स्थापित करना चाहता हूं/चाहते हैं। मैं इसके साथ ब्यौरे भेज रहा हूं ।

1. आवेदक का नाम :

2. परिचय गृह/अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अर्हताएं (प्रमाणपत्र संलग्न किए जाएं) :

3. आयु :

4. मनश्चिकित्सा में वृत्तिक अनुभव :

5. आवेदक का स्थायी पता :

6. प्रस्तावित अस्पताल/चिकित्सागृह का स्थान :

7. प्रस्तावित परिचर्यागृह/अस्पताल का पता :

8. प्रस्तावित वास-सुविधा :

(क) कमरों की संख्या :

(ख) पलंगों की संख्या :

प्रदान की गई सुविधाएं :

(क) बाह्य रोगी :

(ख) आपात सेवाएं :

(ग) अंतरंग रोगी सुविधाएं :

(घ) वृत्तिक और आमोद-प्रमोद की सुविधाएं :

(ङ) ई. सी. टी. सुविधाएं :

(च) एक्स-रे सुविधाएं :

(छ) मनोवैज्ञानिक परीक्षण सुविधाएं :

(ज) अन्वेषण और प्रयोगशाला सुविधाएं :

(झ) उपचार सुविधाएं :

स्टाफ पैटर्न :

(क) डाक्टरों की संख्या :

(ख) नर्सों की संख्या :

(ग) परिचारकों की संख्या :

(घ) अन्य :

मैं इसके साथ अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में.....के नाम .....रुपये का बैंक ड्राफ्ट भेज रहा हूं ।

मैं मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नियमों और विनियमों के पालन करने का वचन देता हूं । अनुरोध है कि आप मेरे आवेदन पत्र पर विचार करें और अनुज्ञप्ति प्रदान करें ।

भवदीय,

हस्ताक्षर.....

तारीख.....

प्रारूप- 3

(नियम- 16 देखें)

मनश्चिकित्सीय अस्पताल/परिचर्यागृह की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी

मैं,..... मानसिक स्वास्थ्य आधनियम, 1987 के अनुज्ञापन प्राधिकारी हुंने के नाते धारा 7 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार करने और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 14) की धारा 8 तथा अन्य उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में दी गई अपेक्षाओं से संतुष्ट होने के बाद मनश्चिकित्सीय अस्पताल अथवा परिचर्यागृह की स्थापना/अनुरक्षण के लिए..... (आवेदक) के नाम अनुज्ञप्ति मंजूर करता हूं ।

2. यह अनुज्ञप्ति .....से.....तक की अवधि के लिए मान्य होगी । यह अनुज्ञप्ति मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में अधिकथित शर्तों के अध्यधीन होगी ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी

स्थान :

तारीख

फार्म- 4

(नियम- 18 देखें)

अनुज्ञप्ति के नवीनकरण के लिए आवेदन पत्र

प्रेषक :

डा०.....

.....

.....

सेवा में,

जिला स्वास्थ्य अधिकारी,

.....

.....

विषय :—अनुज्ञप्ति संख्या..... तारीख ..... नवीनकरण

महोदय,

अनुरोध है कि कृपया तारीख.....की मेरी अनुज्ञप्ति संख्या.....का अगले 5 वर्ष के लिए नवीनक

अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमो द्वारा विहित सुविधाएं प्रदान कर रहा हूं ।

इसके साथ मैंने केवल 100/- रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया है।

धन्यवाद,

भवदीय,

स्थान :

तारीख.....

हस्ताक्षर - .....

नाम.....

फार्म—5

(नियम-21 देखें)

अपील के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

अपील प्राधिकारी,

........................सरकार

........................,

महोदय,

मैं, ...के डा० ....ने...................में मनश्चिकित्सीय परिचर्यागृह/अस्पताल की स्थापना करने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया था (पहले आवेदन पत्र की प्रति संलग्न करें) मेरा आवेदन पत्र निम्नलिखित कारणों से उन के तारीख..........................के पत्र संख्या..........................के अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया :—

1.

2.

3............

(प्रतिलिपि संलग्न)

उपर्युक्त कारण विधिमान्य प्रतीत नहीं होता/नहीं होते। अनुरोध है कि मेरे आवेदन पर आप पुनः विचार करें। मैं इस लिए निम्नलिखित औचित्य प्रस्तुत करता हूं।

1.

2.

3.

यदि आवश्यक हो तो मैं व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आपके समक्ष उपस्थित होने को तैयार हूं। मैं इसके साथ 500/- रुपये का ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूं।

धन्यवाद,

भवदीय

हस्ताक्षर..................

स्थान : नाम...................

फार्म—6

(नियम 24 देखें)

केस रिकार्ड का प्रोफार्मा।

अस्पताल/परिचर्यागृह का नाम ....

रोगी का नाम .... आयु ....

लिंग ....भर्ती होने की तारीख ....

उन्मोचन की तारीख ....

भर्ती की रीति ....स्वैच्छिक ग्रहण आदेश शिकायतें

....

(नातेदारों/अन्य स्रोतों से रिपोर्ट)

मानसिक स्थिति परीक्षण

शारीरिक परीक्षण

प्रयोगशाला अन्वेषण

अनंतिम निदान

प्रारम्भिक उपचार

उपचार और प्रगति टिप्पण

तारीख : नैदानिक अवस्था आनुषंगिक प्रभाव उपचार

अन्तिम निदान

उन्मोचन के समय हालत

अनुवर्ती संस्तुतियां

फार्म–7

(नियम 25 देखें)

ग्रहण-आदेश के लिए आवेदनपत्र
(मनश्चिकित्सीय अस्पताल के भार-साधक चिकित्सा अधिकारी द्वारा)

प्रेषक :

डा०......................

सेवा में,

....................मजिस्ट्रेट *.............

....

महोदय,

विषय ::..............................सुपुत्र/सुपुत्री ....के लिए ग्रहण आदेश।

मैं डा० ....अनुज्ञप्ति संख्या ....तारीख ....के अधीन ....में मनश्चिकित्सीय अस्पताल/परिचर्यागृह चलाता हूं।

आपसे अनुरोध है कि श्री/श्रीमती ....सुपुत्र/सुपुत्री ....की बाबत ग्रहण-आदेश जारी करें जिसका मेरे अस्पताल में स्वैच्छिक रोगी के रूप में उपचार हो रहा है और वह इसे जारी रखने का इच्छुक नहीं है। उसमें निम्नलिखित लक्षण और/या चिह्न हैं।

1.

2.

3.

4.

5.

उपचार/व्यक्तिगत सुरक्षा/दूसरों का संरक्षण प्राप्त करने हेतु उसका अस्पताल में रहना जरूरी है।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षर..................

नाम....................

स्थान :

तारीख :

"मजिस्ट्रेट" का अर्थ है :—

(1) किसी महानगर में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 का खण्ड (2) के संदर्भ में एक महानगर मजिस्ट्रेट।

(2) किसी अन्य क्षेत्र के संदर्भ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उप-प्रभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी का कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हों।

फार्म–8

(नियम 25 देखें)

ग्रहण-आदेश के लिए आवेदन पत्र
(नातेदार या अन्य द्वारा)
सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय,

विषय.....सुपुत्र/सुपुत्री.....का अंतरंग रोगी के रूप में मनश्चिकित्सीय अस्पताल/परिचर्यागृह में भर्ती ।

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री.....निवासी.....आपसे अनुरोध करता हूं कि ..... सुपुत्र/सुपुत्री .....आयु..... वर्ष जो एक अंतरंग रोगी है को (अस्पताल का नाम) या किसी अन्य अस्पताल परिचर्यागृह में भर्ती करने की व्यवस्था करें ।

इसके अन्दर मानसिक रोग के सूचक निम्नलिखित लक्षण हैं :—

1.
2.
3.
4.
5.

मैं जो श्री/श्रीमती .....का.....(संबंध) हूं की आयु ....रुपये है और उपचार प्रभार्य को यदि कोई हो की नियमानुसार भुगतान करने के लिए सहमत हूं और यह भी आश्वास्त करता हूं कि मैं संस्था के नियमों और उपनियमों का पालन करूंगा । मैं घोषणा करता हूं कि मैंने .....की मानसिक दशा के संबंध में इस तरह का कोई आवेदन पहले दिया है/नहीं दिया है । मैं इसके साथ यथापेक्षित दो चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न कर रहा हूं जो इस प्रयोजन हेतु आवश्यक ।

साक्षी—

1. नाम:
2. पता
3. व्यवसाय
4. तदेव

भवदीय,

हस्ताक्षर.....
नाम.....

फार्म–9

(नियम 27 देखें)

अनुपस्थिति की इजाजत के लिए आवेदन पत्र
(नातेदार या अन्य द्वारा)
सेवा में,

डा. .....

.....

.....

महोदय

विषय :—आपकी संस्था में .....को भर्ती श्री/श्रीमती .....आयु..... .....वर्ष की अनुपस्थिति की इजाजत के लिए अनुरोध ।

मैं अनुरोध करता हूं कि श्री/श्रीमती .....सुपुत्र/सुपुत्री .....को अनुपस्थिति की इजाजत लेकर मेरी देखभाल और अभिरक्षण में सौंप दिया जाए ।

मैं एतद्द्वारा स्वयं को आबद्ध करता हूं कि उक्त श्री/श्रीमती जिसे मेरी देखभाल/अभिरक्षण में सौंप दिए जाने पर, मैं उसका भलीभांति ध्यान रखूंगा और उसे स्वयं अपने आपको या अन्यों को क्षति पहुंचाने से रोकूंगा ।

भवदीय,

हस्ताक्षर.....
नाम.....

New Delhi, the 29th December, 1990

G.S.R. 1005(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 94 of the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987), read with section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the State Mental Health Rules, 1990.

(2) They shall come into force in a State on the date of commencement of the Act in that State.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987);

(b) "applicant" means the person who makes an application to the licensing authority for grant of a licence;

(c) "Authority" means the State Mental Health Authority constituted under section 4 of the Act ;

(d) "Chairman" means the Chairman nominated under rule 5;

(e) "Form" means Form annexed to these rules;

(f) "licence" means licence granted under section 8 of the Act;

(g) "member" means a member of the Authority appointed under rule 3;

(h) "membership" means memebership of the Authority established under Section 4 of the Act.

(i) "non-official Member" means a member appointed under sub-rule (2) of rule 3;

(j) "Official Member" means a member appointed under sub-rule (1) of rule 3;

(k) "Secretary" means Secretary to the Authority appointed under rule 13;

(l) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall respectively have the meanings assigned to them in the Act.

Chapter II State Mental Heallh Authority

3. Constitution of the Authority.—The Authority shall consist of the following members, namely :—

(1) Official Members :

(a) Secretary, Department of Health;

(b) Joint Secretary, Department of Health dealing with Mental Health;

(c) Director of Health Services;

(d) Medical Superintendent, Government Mental Hospital or Head of the Deparment Psychiatry, Government Medical College and Hospital :

(2) Non-offical Members : Three members including one social worker, one Clinical Psychologist and one Medical Psychiatrist, who in the opinion of the State Government, have special interest in the field of Mental Health.

4. Disqualification : A person shall be disqualified for being appointed as a member or shall be removed from membership by the State Government, if he,—

(a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(d) has been removed or dismissed from the service of the Government or a body corporate owned or controlled by the Government.

5. Chairman.—(1) The State Government may nominate any official member to act as the Chairman of the Authority.

(2) The Chairman shall cease to hold office when he ceases to be a member of the Authority.

6. Term of office of members.—(1) Every official member shall hold office as such member so long as he holds the office of virtue of which he was so appointed.

(2) Every non-official member shall hold office for a period of three years from the date of his appointment and shall be eligible for re-appointment.

(3) A non-official member may at any time resign from membership of the Authority by forwarding his letter of resignation to the Chairman and such resignation shall take effect only from the date on which it is accepted.

(4) Where a vacancy occurs by resignation of a non-official member under sub-rule (3) or otherwise, the State Government shall fill the vacancy by appointing from amongst category of persons referred to in sub-rule (2) of rule 3 and the person so appointed, shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he was so appointed.

(5) Where the term of office of any non-official member is about to expire, the State Government may appoint a successor at any time within three months before the expiry of the term of such member but the successor shall not assume duty until the term of the member expires.

CHAPTER III PROCEEDINGS OF THE AUTHORITY

7. Meetings of the Authority.—(1) The Authority shall ordinarily meet once in every six months at such time and place as may be fixed by the Chairman;

Provided that the Chairman—

(i) may call a special meeting at any time to deal with any urgent matter requiring the attention of the Authority;

(ii) shall call a special meeting if he receives a requisition in writing signed by not less than four members and stating the purposes for which they desire the meeting to be called.

(2) The first meeting of the Authority to be held in any calendar year shall be the annual meeting for that year.

8. Subjects for special meeting.—Where a meeting referred to in the proviso to sub-rule (1) of rule 7 has been convened, only the subjects for the consideration of which the meeting was convened, shall be discussed.

9. Subjects for the Annual Meeting.—At the Annual meeting of the Authority, the following subjects shall be considered and disposed of, namely :—

(a) Review of the progress of implementation of the various provisions of the Mental Health Act during the preceding one year;

(b) other business on the agenda, and

(c) any other business brought forward with the consent of the Chairman or where he is absent with the consent of the Officer presiding at the meeting.

10. Procedure for holding meetings.—(1) Every notice calling for a meeting of the Authority shall,—

(a) specify the place, date and hour of the meeting;

(b) be served upon every member of the Authority not less than twenty-one clear days in the case of annual meeting and fifteen clear days in the case of other meetings before the day appointed for the meeting.

(2) The Secretary shall prepare and circulate to the members along with the notice of the meeting, an agenda for such meeting showing the business to be transacted.

(3) A member who wishes to move a resolution on any matter included in the agenda, shall give notice thereof to the Secretary not less than seven days before the date fixed for the meeting.

(4) A member who wishes to move any motion not included in the agenda shall give notice thereof to the Secretary not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

3366 GI/90—3

11. Proceedings of the Authority.—(1) The Chairmen or in his absence any member authorised by him, shall preside at the meetings of the Authority.

(2) The quorum for the meeting of the Authority shall be four members.

(3) If within half an hour from the time appointed for holding a meeting of the Authority, quorum is not present, the meeting shall be adjourned to the same day in the following week at the same time and place and the presiding officer of such meeting shall inform the members present and send notice to other members.

(4) If at the adjourned meeting also, quorum is not present within half an four from the time appointed for holding the meeting, the members present shall constitute the quorum;

(5) In the adjourned meeting if the Chairman is not present and no member has been authorised to preside at such meeting, the members present shall elect a member to preside at the meeting.

(6) Each member including the Chairman shall have one vote. In the case of an equality of votes, the Chairman or any member presiding over such meeting, shall in addition, have a casting vote.

(7) All decisions of the meeting of the Authority shall be taken by a majority of the members present and voting.

12. Approval by circulation.—Any business which may be necessary for the Authority to transact except such as may be placed before the annual meeting, may be carried out by circulation among all members and any resolution so circulated and approved by a majority of members shall be valid and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Authority.

13. Secretary to the Authority.—(1) The Chairman shall cause to be appointed a Secretary to the Authority from amongst persons possessing post graduate dergee in Psychiarty and having three years; experience in the field of psychiatry.

(2) The Secretary shall be a full-time or part-time servant of the Authority and shall function as the Administrative Officer of the Authority.

(3) The Secretary shall be responsible for teh control and manage of office accounts and correspondence.

(4) The Secretary shall attend and take notes of the proceedings of the meeting of the Authority.

(5) The Secretary shall cause to be appointed such members of the ministerial and non-ministerial staff which are essential for efficient functioning of the Authority.

(6) The Secretary shall exercise such other powers and discharge such other functions as may be authorised in writing by the Chirman for the efficient functioning of the Authority.

14. Forwarding of copies of the proceedings of the Authority to the State Government.—The Secretary shall forward copies of the proceedings of the Authority to the State Government periodically.

CHAPTER IV LICENCE

15. Application for licence.—(1) Every application for a licence under sub-section (1) or sub-section (2) of section 7 of the Act shall be,—

(a) made to the licensing authority in Form I or Form II as the case may be;

(b) Accompanied by a fee of rupees two hundred in the form of a bank draft drawn in favour of the licensing authority.

16. Grant of licence.—If the licensing authority is satisfied that the applicant fulfils the conditions laid down in clauses (a), (b) and (c) of section 8 of the Act, it shall grant the licence in Form III.

17. Refusal of licence and manner of communicating the order.—(1) If the licensing authority is satisfied that the applicant does not fulfil the conditions laid down in section 8 of the Act, it may, after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard against the proposed refusal of licence, by order setting out the reasons therein, refuse to grant the licence.

(2) Every order refusing to grant a licence under section 8, shall be communicated to the applicant by sending a copy of the order by registered post to the address given in the application.

(3) A copy of the order shall also be conspicuously displayed on the notice board of the office of the licensing authority.

18. Application for renewal.—Every application for renewal of a licence under sub-section (5) of section 9 of the Act shall be.—

(a) made to the licensing authority in Form IV,

(b) accompanied by a fee of rupees one hundred in the form of a bank draft drawn in favour of the licensing authority.

19. Refusal of licence.—(1) If the licensing authority is satisfied that the conditions mentioned in the proviso to sub-section (5) of section 9 of the Act are not attracted, it shall, renew the licence.

(2) If the licensing authority is of the opinion that the licence should not be renewed in view of the fact the conditions mentioned in the proviso to sub-section (4) of section 9 are attracted, it may, after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard against the proposed refusal of renewal of the licence, by order setting out the reasons therein, refuse to renew the licence.

(3) Every oder refusing to renew the licence under the proviso to sub-section (5) of section 9 shall be communicated to the applicant by sending a copy of the order by registered post to the address given in the application for renewal.

20. Manner and conditions of maintaining Psychiatric hospitals or Psychiatric nursing homes.—Every Psychiatric hospital or nursing home shall be maintained subject to the condition that,—

(A) such hospital or nursing home is located only in an area approved by the local authority;

(B) such hospital or nursing home is located in a building constructed with the approval of the local authority;

(C) the building, where such hospital or nursing home is situated, has sufficient ventilation and is free from any pollution which may be detrimental to the patients admitted in such hospital or nursing home;

(D) such hospital or nursing home has enough beds to accommodate the patients;

(E) the nursing and other staff employed in such hospital or nursing home are duly qualified and competent to handle the work assigned to them:

(F) the supervising officer-in-charge of such hospital or nursing home is a person duly qualified having a post graduate qualification in Psychiatry recognised by the Medical Council of India.

21. Time for appeal.—(1) Any person aggrieved by the order of the licensing authority refusing to grant or renew a licence or revoking a licence, may prefer an appeal to the State Government, within sixty days of the communication of such order: Provided that the State Government may entertain an appeal preferred after the expiry of the period specified in sub-rule (1) if it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

(2) The appeal shall be in 'Form V' and shall be sent to the State Government by registered post or by appearing in person before and delivering the same to the Secretary to State Government, Department of Health or any other officer nominated by him in this behalf.

(3) Every appeal shall be accompanied with a fee of rupees five hundred.

CHAPTER V PSYCHIATRIC HOSPITAL & NURSING HOME

22. Minimum facilities for treatment of out-patients.—The minimum facilities required for every psychiatric hospital or psychiatric nursing home for treatment of patients mentioned in section 14 of the Act shall be as follows :—

1. Staff for 10 bedded hospital or nursing home.—
(a) One full time qualified Psychiatrist.

(b) One Mental Health Professional Assistant (Clinical) Psychologist or Psychiatric Social Worker.

(c) Staff Nurses in the nurse : patient ratio 1 : 3.

(d) Attenders in the attender : patient ratio 1: 5.

2. Physical features.—Adequate floor space depending on he number oft beds shall be provided.

3. Support facilities.—The minimum support|facilities shall be as under :—

(a) Provision for emergency care for out-patients and for handling medical emergencies for outpatients and in patients;

(b) A well equipped Electro Convolsive Therapy facility;

(c) Psychodiagnostic facilities;

(d) Provision for recreational|rehabiliation activities; and

(e) Facilities for regular out-patient care.

23. Revocation of licence.—(1) Where the licensing authority is satisfied that the licence of any psychiatric hospital or nursing home is required to be revoked in pursuance of clause (a) or (b) of sub-section (1) of section 11 of the Act, it may, after giving the licensee a reasonable opportunity of being heard against the proposed revocation, by order setting out the grounds therein, revoke the licence.

(2) Every order revoking the licence under sub-rule (1) shall be communicated to the licensee by sending a copy of the order by registered post to the address given in the application.

(3) A copy of the order shall also be conspicuously displayed on the notice board of the office of the licensing authority and in the psychiatric hospital or nursing home.

24. Maintenance of records.—Every Psychiatric hospital or a psychiatric nursing home shall maintain the records of the treatment of patient in Form VI.

CHAPTER VI MISCELLANEOUS

25. Admission and detention in Psychiatric Hospital or Psychiatric Nursing Home.—(1) Application by Medical Officer-in-charge.

(a) The application for reception order may be made by the Medical Officer-in-charge of a Psychiatric hospital or psychiatric nursing home in 'Form VII' or

(b) by the husband, wife or any other relative of the mentally ill person in Form 'VIII'.

(2) Application from husband or wife.

(a) Every application by the husband or wife, relative or friend of a person who is alleged to be mentally ill shall be accompanied by necessary medical certificates;

(b) Such application shall be signed either by the husband or wife or a relative or a friend as the case may be, and verified by two independent witnesses;

(c) The name, address, occupation and other details of all the applicants and the attesting witnesses shall be clearly given in such application.

26. The qualifications and functions of the visitors.—(1) The qualifications of persons to be appointed as visitors under section 37 of the Act shall be as follows :—

(a) A degree in Medicine with post graduate degree in psychiatry awarded by any University in India recognised by the Medical Council of India and having at least ten years' standing in the profession, who has held|is holding the post of Medical Superintendent|Professor in psychiatric hospital or psychiatric wing of a hospital; or

(b) Experience as a social worker|clinical psychologist|psychiatric nurse connected with any mental hospital for a period of not less then ten years.

(2) The visitors appointed by the Government under section 37 of the Act shall be responsible for :—

(a) review of admission and discharge of patients;

(b) inspection of the wards, outdoor patient department and kitchen;

(c) facilities to be provided;

(d) suggestion for improvement; and

(e) functioning as liaison officer between the Government and hospital.

27. Leave of absence; Every application by relative or any other person on behalf of the patient for leave of absence under section 45 of the Act shall be made in 'Form IX'.

28. Interception of the letters and other communications addressed to the mentally ill persons. (1) No letter or other communication addressed to a mentally ill person intended for delivery either through the postal department or otherwise shall be intercepted detained or destroyed except under following circumstances, namely :—

(i) any letter or other communication intended for delivery to a mentally ill person shall be opened only if the person having the supervisory control over the hospital or nursing home is of the opinion that such letter or communication contain any information or material which if communicated to such patient will be detrimental to his health; or

(ii) that the interception, detention or destruction of any letter or communication intended to be delivered to the mentally ill person is necessary in the interests of the public or the State.

[F. No. 11018|4|87-(B)PMS]

J. VASUDEVAN, Jt. Secy.

FORM I

(See Rule 15)

APPLICATION FOR MAINTAINING A PSYCHIATRIC HOSPITAL/NURSING HOME

To

The————————————Officer,
Government of ————————————
————————————————————.

Dear Sir/Madam,

I/We intend to establish/maintain a Psychiatric Hospital/Psychiatric Nursing Home in respect of which I am/we are holding a valid licence for the establishment/maintenance of such hospital/nursing home. The details of the hospital/nursing home are given below :

1. Name of Applicant.

2. Details of licence with reference to the name of the Authority issuing the licence and date.

3. Age ————————————.

4. Professional experience in Psychiatry.

5. Permanent address of the applicant.

6. Location of the proposed Hospital/Nursing Home.

7. Address of the proposed Nursing Home/Hospital.

8. Proposed accommodations :

(a) Number of rooms.

(b) Number of beds.

Facilities provided :

(a) Out patient.

(b) Emergency services.

(c) Inpatient facilities.

(d) Occupational & recreational facilities.

(e) ECT facilities.

(f) X-Ray facilities.

(g) Psychological testing facilities.

(h) Investigation & Laboratory facilities.

(i) Treatment facilities.

Staff Pattern :

(a) Number of Doctors.

(b) Number of Nurses.

(c) Number of Attenders.

(d) Others.

I am sendig herewith a bank draft for Rs. ————————drawn in favour of————————————as licence fee.

I hereby undertake to abide by the rules and regulation of the Mental Health Authority.

I request you to consider my application and grant the licence for establishment/maintenance of Psychiatric hospital/nursing home.

Yours faithfully

Signature————————————

Name————————————

Date ————————————

FORM II

(See Rule 15)

APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF PSYCHIATRIC HOSPITAL/NURSING HOME UNDER SUB-SECTION(2) OF SECTION 7.

To

The—————————————,
Government of ——————————
—————————————.

Dear Sir/Madam,

I/We intend to establish a Psychiatric Nursing Home/Psychiatric Hospital at————(mention the place). I am herewith giving you the details.

1. Name of the Applicant.

2. Qualification of Medical Officer to be incharge of Nursing Home/Hospital (Certificates to be attached).

3. Age——————————

4. Professional experience in Psychiatry.

5. Permanent Address of the applicant.

6. Location of the proposed Hospital/Nursing Home.

7. Address of the proposed Nursing Home/Hospital.

8. Proposed accommodations :

(a) Number of rooms

(b) Number of beds.

Facilities provided :

(a) Out patient.

(b) Emergency services.

(c) Inpatient facilities.

(d) Occupational & recreational facilities.

(e) ECT facilities.

(f) X-ray facilities.

(g) Psychological testing facilities.

(h) Investigation & laboratory facilities.

(i) Treatment facilities.

Staff Pattern :

(a) Number of Doctors.

(b) Number of Nurses.

(c) Number of Attenders.

(d) Others.

I am herewith sending a bank draft for Rs.————————drawn in favour of————————as licence fee.

I hereby undertake to abide by the rules and regulations of the Mental Health Authority. I request you to consider my application and grant licence.

Yours faithfully.

Signature——————————

Date——————————

FORM III

(See Rule 16)

GRANT OF LICENCE FOR ESTABLISHMENT OF PSYCHIATRIC HOSPITAL/NURSING HOME

I,————————being the licensing authority under the Mental Health Act 1987, after considering the application received, under section 7 and satisfying the requirements provided for in section 8 and the other provisions of the Mental Health Act, 1987 (Central Act 14 of 1987) and the rules made thereunder, hereby grant the licence for establishment/maintenance of a psychiatric hospital or nursing home in favour of————————(the applicant).

2. The licence shall be valid for the period commencing from————————and ending with————————. The licence shall be subject to the conditions laid down in the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987) and the rules made thereunder.

Licensing Authority

Place :
Date :

FORM IV

(See Rule 18)

SEAL

APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE

From
Dr.————————,
————————,
————————,

To
District Health Officer,
————————,
————————,

Sir,

Subject : Renewal Licence No.———————— dated————————

I request you to kindly renew my licence No.———————— dated the————————for the next 5 years. I am providing the facilities as prescribed by the Act and the Rules framed there under. I have herewith attached a demand draft for Rs. 100 only

Thanking you,

Yours faithfully,

Signature————————
Name ————————

Place :
Date :

FORM V

(See Rule 21)

APPLICATION FOR APPPEAL

To
The Appellate Authority
Government of————————
————————

Sir,

I, Dr.———————— ————of————————had applied for a licence for establishing a Psychiatric Nursing Home/Hospital at———————— ————(Copy of the earlier application to be attached). My application was rejected by the licensing authority as per his/her letter No.———————— ————dated———————— ——with the following reasons :

1.
2.
3.

(Copy enclosed)

The above reason(s) appear to be not valid. I request you to reconsider my application. My justifications are :

1.
2.
3.

I am willing to appear before you for a personal hearing, if necessary. I am herewith enclosing a draft for Rs. 500.

Thanking you,

Yours faithfully,

Signature————————
Name ————————

Place :
Date :

FORM VI

(See Rule 24)

PROFORMA OF CASE RECORD

Name of the hospital/nursing home———Patient's Name———Age———Sex
Date of admission———Date of discharge———Mode of admission———
Voluntary Reception order.
Complaints (report from relatives/other sources)

Mental State Examination
Physical examination
Laboratory investigations
Provisional diagnosis
Initial treatment
Treatment and Progress notes
Date Clinical State and Side effect Treatment
Final diagnosis
Condition at discharge
Follow-up recommendations.

FORM VII

(See Rule 25)

APPLICATION FOR RECEPTION ORDER

(by Medical Office-in-charge of a Psychiatric hospital)

From :

Dr. ———

To

@The Magistrate
———
———

Sir,

Subject : Reception order for———son/daughter of———I, Dr.———maintain psychiatric hospital/nursing home at———under licence No.———dated———.

I request you to issue reception order in respect of Sh./Smt.———son/daughter of———who is being treated at my hospital as a voluntary patient and is not willing to continue. He/she has, the following systems and/or signs.

1.
2.
3.
4.
5.

He/She requires to be in the hospital for treatment/personal safety/others protection.
Thanking you,

Yours sincerely,

Signature ———

Place :

Name———

Date :

@"Magistrate" means —

(1) In relation to a metropolitan area within the meaning of clause(k) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973, a Metropolitan Magistrate;

(2) in relation to any other area, the Chief Judicial Magistrate, Sub-Divisional Judicial Magistrate or such other Judicial Magistrate of the first class as the State Government may, by notification, empower to perform the functions of a Magistrate under this Act.

FORM VIII

(See Rule 25)

APPLICATION FOR RECEPTION ORDER

(By relative or other)

To

Sir,

Subject : Admission of———son/daughter of——— into psychiatry hospital/nursing home as inpatient

I,———son/daughter of———residing at———request you to kindly arrange for admission in respect of Sh./Smt.———aged———Years———son/daughter of———an inpatient to———(name of the hospital) or any other hospital/nursing home. He/She has the following suggestive of mental illness.

1.
2.
3.
4.
5.

I, who is———(relationship) of Sh./Smt.——— have an income Rs.———and agree to pay the charges of treatment if any, according to the rules and also assure that I shall abide by the rules and regulations of the Institution. I state that, I have/have not made such any previous application with regard to the mental condition of———as required. I herewith enclose the two medical certificates needed for the purpose.

Yours faithfully,

Witnesses :

Signature ———
Name in Capital ———

1. Name :
   Address :
2. Occupation :
   -do-

FORM-IX

(See Rule 27)

APPLICATION FOR LEAVE OF ABSENCE

(By relative or others)

To

Dr.

Sir,

Subject : Request for leave of absence of Sh./Smt.———aged———Years admitted on———to your Institute.

I request that Sh./Smt.———son/daughter of———be delivered to my care and custody on leave of absence.

I hereby bind myself that on the said Sh./Smt.———being made over to my care and custody, I will have him here/properly taken care of and prevent from doing injury to himself/herself or to others.

Yours faithfully

Signature ———

Name ———

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991